SHIKSHA SAMVAD
International Journal of Multidisciplinary Research
ISSN: 2584-0983 (Online)
© Shiksha Samvad|Volume-03| Issue-04| June- 2026
Available online at: https://shikshasamvad.com/
DOI:- https://doi.org/10.64880/shikshasamvad.v3i4.12

हाशियाकरण और अल्पसंख्यक अधिकार: भारत में मुसलमानों का मामला: एक शोध अध्ययन

कोमल शर्मा
पी-एच. डी. स्कॉलर, राजनीति विज्ञान विभाग
Emil: komalsharma15nov@gmail.com

सारांश

यह शोध पत्र भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हाशियाकरण और अधिकारों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। शोध अल्पसंख्यक की अवधारणा और विभाजन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से प्रारंभ होता है। इसके बाद भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों की चर्चा की गई है। वर्तमान भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के समक्ष चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है, जिसमें सच्चर समिति के निष्कर्षों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में मुसलमानों के अल्पप्रतिनिधित्व को दर्शाया गया है। सांप्रदायिक हिंसा और मॉब लिंचिंग की घटनाओं को पूर्वाग्रह और हाशियाकरण के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। क्रिस्टोफर जैफरलोट के विश्लेषण के आलोक में बीजेपी, आरएसएस और हिंदू राजनीति में धार्मिक कट्टरवाद की बढ़ती प्रवृत्ति की समीक्षा की गई है। अंत में, राजीव भार्गव के भारतीय धर्मनिरपेक्षता मॉडल, समूह-विभेदित अधिकारों की अवधारणा, संवैधानिक सुरक्षा उपायों के सही क्रियान्वयन तथा शोधकर्ता के स्वयं के सुझावों के माध्यम से समाधान प्रस्तुत किए गए हैं।

मुख्य शब्द: अल्पसंख्यक, हाशियाकरण, सच्चर समिति, सांप्रदायिक हिंसा, मॉब लिंचिंग, धार्मिक कट्टरवाद, बीजेपी, आरएसएस, भारतीय धर्मनिरपेक्षता, समूह अधिकार

1. प्रस्तावना: अल्पसंख्यक की परिभाषा एवं विभाजन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1.1 अल्पसंख्यक की परिभाषा

'अल्पसंख्यक' शब्द का अर्थ केवल संख्यात्मक अल्पता नहीं है। राजनीतिक विज्ञान में अल्पसंख्यक उस समूह को कहते हैं जो संख्यात्मक रूप से कम होने के कारण सत्ता, संसाधनों और अवसरों से वंचित रह जाता है तथा 'प्रभुत्व के जोखिम' का सामना करता है। विल किम्लिका (1995) के अनुसार, अल्पसंख्यक दो प्रकार के होते हैं - 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक' जो अपनी क्षेत्रीय पहचान बनाए रखना चाहते हैं, और 'जातीय समूह' जो बड़े समाज में एकीकृत होना चाहते हैं। भारतीय मुसलमान इन दोनों श्रेणियों में पूरी तरह फिट नहीं बैठते, क्योंकि उनकी सदियों पुरानी सांस्कृतिक जड़ें इस उपमहाद्वीप में हैं

1.2 विभाजन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : 1947 का भारत विभाजन भारतीय मुसलमानों के इतिहास का सबसे दर्दनाक मोड़ था। इस विभाजन ने मुस्लिम समुदाय के प्रति एक गहरा ऐतिहासिक अविश्वास पैदा कर दिया। विभाजन के बाद भारत में रहे मुसलमानों को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ा - एक ओर 'देशभक्ति' साबित करने का दबाव, दूसरी ओर 'विभाजन के दोषी' का ठप्पा।

2. संवैधानिक प्रावधान: मौलिक अधिकार एवं नीति निदेशक तत्व

2.1 मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 14-30)

भारतीय संविधान के भाग-III में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है जो अल्पसंख्यकों को निम्नलिखित सुरक्षा प्रदान करते हैं:

अनुच्छेद 14-18 (समानता का अधिकार): अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की गारंटी देता है।

अनुच्छेद 25-28 (धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार): अनुच्छेद 25 अंतरात्मा की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार देता है।

अनुच्छेद 29-30 (सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार): अनुच्छेद 29 किसी भी समुदाय को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार देता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासन का अधिकार देता है।

2.2 राज्य के नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 36-51)

नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, किन्तु शासन के लिए मौलिक हैं:

अनुच्छेद 44 (समान नागरिक संहिता): राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 46 (कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा): राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को विशेष सावधानी से बढ़ावा देगा।

3. आज के भारत में अल्पसंख्यक समुदाय की चुनौतियाँ

3.1 अल्पप्रतिनिधित्व: सच्चर समिति के निष्कर्ष

सच्चर समिति रिपोर्ट (2006) ने भारतीय मुसलमानों की दयनीय स्थिति को उजागर किया। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

शैक्षिक क्षेत्र: मुसलमानों की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या अधिक है जबकि आधुनिक शिक्षा से उनकी पहुंच सीमित है।

सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व: भारतीय नौकरशाही में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात से काफी कम है। आईएएस, आईपीएस जैसी शीर्ष सेवाओं में तो स्थिति और भी खराब है।

बैंक ऋण तक पहुंच: मुसलमानों को बैंक ऋण प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाई होती है।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व: विधानसभाओं और संसद में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात से बहुत कम है।

3.2 सांप्रदायिक हिंसा और मॉब लिंचिंग

सांप्रदायिक हिंसा ने मुसलमानों की स्थिति को और worsen किया है। 1984 के सिख विरोधी दंगों से लेकर 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद के दंगों तक, 2002 के गुजरात दंगों से लेकर 2020 के दिल्ली दंगों तक - मुसलमान बार-बार सांप्रदायिक हिंसा के निशाने पर रहे हैं। इन दंगों में हजारों मुसलमान मारे गए, लाखों विस्थापित हुए, और उनकी संपत्तियाँ नष्ट हुईं। इस हिंसा ने मुसलमानों में असुरक्षा की भावना को गहरा किया है।

मॉब लिंचिंग के उदाहरण:

उदाहरण 1: मोहम्मद अखलाक (दादरी, उत्तर प्रदेश, 2015) - गोमांस रखने के झूठे आरोप पर 52 वर्षीय अखलाक की भीड़ ने पिटाई करके हत्या कर दी।

उदाहरण 2: तबरेज अंसारी (झारखंड, 2019) - 24 वर्षीय तबरेज पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया। भीड़ ने उसे 12 घंटे तक प्रताड़ित किया और 'जय श्री राम' के नारे लगवाए।

ये घटनाएँ 'विजिलेंटे जस्टिस' की खतरनाक संस्कृति को दर्शाती हैं।

4. धार्मिक कट्टरवाद का बढ़ता प्रभाव: क्रिस्टोफर जैफरलोट का बीजेपी, आरएसएस और हिंदू राजनीति का विश्लेषण

क्रिस्टोफर जैफरलोट हिंदू राष्ट्रवाद के प्रमुख विद्वान हैं। उन्होंने बीजेपी, आरएसएस और हिंदू राजनीति के उदय का गहन विश्लेषण किया है:

4.1 आरएसएस की ideological नींव

जैफरलोट (1996) के अनुसार, आरएसएस की स्थापना 1925 में के.बी. हेडगेवार ने की थी। इसकी विचारधारा 'हिंदुत्व' पर आधारित है - जो एक राजनीतिक विचारधारा है, धार्मिक नहीं। हिंदुत्व का मुख्य सिद्धांत यह है कि भारत हिंदुओं का राष्ट्र है, और अन्य धर्मों के लोग (मुस्लिम, ईसाई) 'बाहरी' हैं जिन्हें या तो आत्मसात होना चाहिए या उन्हें अल्पसंख्यक के रूप में सहन किया जाता है। आरएसएस ने अपने 'शाखा' तंत्र के माध्यम से युवाओं को अनुशासित किया और हिंदू राष्ट्रवाद का प्रचार किया है

अल्पसंख्यकों को कलंकित करने की रणनीति

जैफरलोट के अनुसार, बीजेपी और आरएसएस की तीन मुख्य रणनीतियाँ हैं:

1. 'अल्पसंख्यक तुष्टीकरण' का आरोप: मुसलमानों के लिए किए गए किसी भी प्रावधान को 'तुष्टीकरण' कहकर नकारा जाता है।

2. 'लव जिहाद' और 'गो तस्करी' जैसे मुद्दे: इन मुद्दों को उछालकर मुसलमानों को 'खतरनाक' और 'देशद्रोही' के रूप में चित्रित किया जाता है।

3. 'हम बनाम वे' की राजनीति: लगातार 'हिंदू असुरक्षा' का नारा देकर अल्पसंख्यकों के खिलाफ भावना भड़काई जाती है।

4.4 बीजेपी सरकार के तहत स्थिति

जैफरलोट (2011) के अनुसार, 2014 के बाद से बीजेपी सरकार के तहत अल्पसंख्यकों की स्थिति और खराब हुई है। नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC), और अनुच्छेद 370 का निरसन - इन सबको मुसलमानों के खिलाफ कदम के रूप में देखा गया है। सरकारी बयानों में 'मुस्लिम' शब्द का प्रयोग कम हो गया है, और 'तुष्टीकरण' का आरोप लगातार लगाया जाता है।

5. समाधान

5.1 राजीव भार्गव का भारतीय धर्मनिरपेक्षता मॉडल (विस्तृत विवरण)

राजीव भार्गव (2010) के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी मॉडल से भिन्न है। उनके मॉडल के मुख्य बिंदु हैं:

पश्चिमी मॉडल की सीमाएँ: पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में राज्य और धर्म का पूर्ण पृथक्करण होता है। लेकिन यह मॉडल भारत जैसे अत्यधिक विविधतापूर्ण समाज के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह राज्य को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाने से रोकता है।

सैद्धांतिक दूरी (Principled Distance): भार्गव का कहना है कि भारतीय राज्य सभी धर्मों से 'सैद्धांतिक दूरी' बनाए रखता है - न तो किसी धर्म का समर्थन करता है, न ही पूरी तरह तटस्थ रहता है। यदि कोई धार्मिक प्रथा मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है (जैसे अस्पृश्यता), तो राज्य हस्तक्षेप कर सकता है।

अंतरा-धार्मिक प्रभुत्व: भार्गव का एक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि वह केवल अंतर-धार्मिक प्रभुत्व (जैसे हिंदुओं द्वारा मुसलमानों पर) ही नहीं, बल्कि अंतरा-धार्मिक प्रभुत्व (जैसे महिलाओं और दलितों पर धार्मिक प्रथाओं का अत्याचार) को भी कम करने की बात करते **हैं।**

5.2 समूह-विभेदित अधिकारों की आवश्यकता (विद्वानों के मुख्य विचार)

© Shiksha Samvad | Received: 25 May-2026 | Accepted: 05 June - 2026 | Published: 12 June - 2026

विल किम्लिका (1995): किम्लिका का तर्क है कि "अल्पसंख्यक अपनी सांस्कृतिक सदस्यता के कारण एक विशेष नुकसान का सामना करते हैं।" इसलिए उन्हें 'सामान्य अधिकारों' के अतिरिक्त तीन प्रकार के समूह-विभेदित अधिकार चाहिए:

· स्वशासन अधिकार: क्षेत्रीय स्वायत्तता (जैसे जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा)

· बहुसांस्कृतिक अधिकार: अपने रीति-रिवाजों का पालन करने का अधिकार

· विशेष प्रतिनिधित्व अधिकार: राजनीतिक संस्थाओं में आरक्षण

आइरिस मैरियन यंग (1990): यंग 'विभेदित नागरिकता' (Differentiated Citizenship) की वकालत करती हैं। उनका कहना है कि 'रंग-अंध' दृष्टिकोण वास्तव में पहले से वंचित समूहों के खिलाफ भेदभाव करता है। कुछ समूहों को उनकी विशिष्ट पहचान के माध्यम से पहचाना जाना चाहिए।

माइकल सैंडल (1982): सैंडल तर्क देते हैं कि व्यक्ति अपने सांस्कृतिक समुदाय में अंतर्निहित होता है। समुदाय कोई चुनाव नहीं, बल्कि एक खोजा गया लगाव है। इसलिए न्याय के किसी भी सिद्धांत को समुदाय की इस भूमिका को स्वीकार करना चाहिए।

चार्ल्स टेलर (1994): टेलर ने 'मान्यता की राजनीति' (Politics of Recognition) की अवधारणा दी। उनके अनुसार, अल्पसंख्यकों की पहचान को सार्वजनिक रूप से मान्यता देना आवश्यक है, क्योंकि गैर-मान्यता या गलत-मान्यता सामाजिक उत्पीड़न का एक रूप है।

5.3 अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों का सही क्रियान्वयन

1. न्यायिक सुधार: मॉब लिंचिंग को गैर-जमानती अपराध बनाया जाए। फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएं। सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में स्वत: संज्ञान लेने की व्यवस्था हो।

2. पुलिस सुधार: पुलिस को राजनीतिक दबाव से मुक्त किया जाए। सांप्रदायिक संवेदनशीलता का प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाए। पुलिस स्टेशनों में अल्पसंख्यक अधिकारी भी हों।

3. सच्चर समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन: समान अवसर आयोग की स्थापना की जाए।

4. शैक्षिक पाठ्यक्रम में बदलाव: धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद और सांप्रदायिक सद्भाव की शिक्षा अनिवार्य की जाए।

सुझाव

1. सांप्रदायिक हिंसा पीड़ितों के लिए पुनर्वास कोष: सरकार को एक विशेष कोष बनाना चाहिए जो सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को त्वरित मुआवजा और पुनर्वास प्रदान करे।

2. अल्पसंख्यक थाने: हर जिले में एक अल्पसंख्यक थाना (Minority Police Station) स्थापित किया जाए, जहाँ अल्पसंख्यकों की शिकायतें प्राथमिकता से सुनी जाएं।

3. इंटर-फेथ डायलॉग फोरम: नियमित अंतर-धार्मिक संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, जहाँ विभिन्न समुदायों के लोग एक-दूसरे के धर्म और रीति-रिवाजों को समझ सकें।

4. मीडिया मॉनिटरिंग सेल: सांप्रदायिक भाषा और घृणास्पद भाषण के लिए मीडिया की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र तंत्र बनाया जाए।

5. सामुदायिक पुलिसिंग: पुलिस और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम शुरू किए जाएं।

6. निष्कर्ष

भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। संविधान में सैद्धांतिक रूप से सुरक्षा के प्रावधान हैं, किन्तु उनका क्रियान्वयन कमजोर है। क्रिस्टोफर जैफरलोट के विश्लेषण के अनुसार, बीजेपी-आरएसएस की हिंदुत्व विचारधारा ने धार्मिक कट्टरवाद को बढ़ावा दिया है और अल्पसंख्यकों को 'बाहरी' और 'खतरनाक' के रूप में चित्रित किया है। सांप्रदायिक हिंसा और मॉब लिंचिंग ने मुसलमानों की स्थिति और worsen कर दी है।

समाधान हेतु राजीव भार्गव के सक्रिय धर्मनिरपेक्षता मॉडल को अपनाना, विल किम्लिका, आइरिस यंग, माइकल सैंडल और चार्ल्स टेलर जैसे विद्वानों के समूह-विभेदित अधिकारों को मान्यता देना, (सांप्रदायिक हिंसा पुनर्वास कोष, अल्पसंख्यक थाने, इंटर-फेथ डायलॉग, मीडिया मॉनिटरिंग) को लागू करना आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Bhargava, R. (2010). The Promise of India's Secular Democracy. New Delhi: Oxford University Press. [पृ. 45-78]

2. Government of India, Ministry of Minority Affairs. (2006). Social, Economic and Educational Status of the Muslim Community of India: A Report (Sachar Committee Report). New Delhi: Government of India. [पृ. 105-240]

3. Jaffrelot, C. (1996). The Hindu Nationalist Movement in India. New York: Columbia University Press. [पृ. 87-124, 156-189]

4. Jaffrelot, C. (2011). Religion, Caste, and Politics in India. New York: Columbia University Press. [पृ. 34-67, 201-235]

5. Kymlicka, W. (1995). Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford: Oxford University Press. [पृ. 10-45]

6. Sandel, M. (1982). Liberalism and the Limits of Justice. New York: Cambridge University Press. [पृ. 102-135]

7. Taylor, C. (1994). Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition. Princeton: Princeton University Press. [पृ. 25-60]

8. Young, I. M. (1990). Justice and the Politics of Difference. Princeton: Princeton University Press. [पृ. 120-158]

9. "Indian police arrest 11 for torturing Muslim man to death". (2019, October 21). New Age BD. Agence-France-Presse.

10. "Mob Lynching of Muslim Youth Over Cow Trafficking Allegations". (2025, September 23). ABNA English.

Cite this Article:

कोमल शर्मा, "हाशियाकरण और अल्पसंख्यक अधिकार: भारत में मुसलमानों का मामला: एक शोध अध्ययन" Shiksha Samvad International Open Access Peer-Reviewed & Refereed Journal of Multidisciplinary Research, ISSN: 2584-0983 (Online), Volume 03, Issue 04, Pp.107-111, June-2026. Journal URL: https://shikshasamvad.com/

This is an Open Access Journal / article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC-ND 3.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. All rights reserved.

SHIKSHA SAMVAD
PASSION TOWARDS EXCELLENCE

CERTIFICATE

of Publication

This Certificate is proudly presented to

कोमल शर्मा

For publication of research paper title

हाशियाकरण और अल्पसंख्यक अधिकार: भारत में मुसलमानों का मामला: एक शोध अध्ययन

Published in 'Shiksha Samvad' Peer-Reviewed and Refereed Research Journal and E-ISSN: 2584-0983(Online), Volume-03, Issue-04, Month June 2026.

Dr. Neeraj Yadav
Editor-In-Chief

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Executive-chief- Editor

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at: https://shikshasamvad.com/

DOI:- https://doi.org/10.64880/shikshasamvad.v3i4.12